**हरगोविंद विरूद्ध हरलाल**

**XXXIX(a)BR(H)-11**

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 3814–दो/14 जिला – विदिशा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 16.2.15 | प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, नसरूल्लागंज के प्रकरण क्रमांक 91/अ–6/2012–13 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 11–9–14 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे आगे संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।<br>2– आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । आलोच्य आदेश द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने संहिता की धारा 32 के प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह व्यक्त किया है कि आलोच्य प्रकरण में उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देने के उपरांत अंतिम निराकरण किया जाना विधिसंगत होगा, इस कारण अंतरिम आवेदन को अस्वीकार किया है । अधीनस्थ न्यायालय के इस आदेश में कोई भी अवैधता, अनियमितता या अनौचित्यता नहीं है । आलोच्य आदेश विधि के अनुकूल सुसंगत आधारों पर होने से उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।<br>सदस्य | |

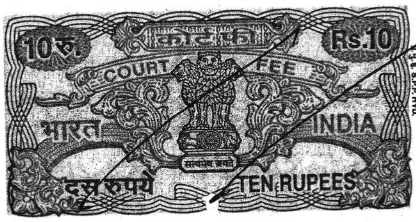


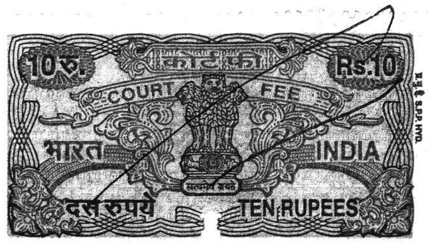


न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय कैंप भोपाल

प्र.क्र. /14-15 निग. R-3814-II/14

1- हरगोविंद | पुत्रगण मंशाराम

2- हटेसिंह | जाति मोगियाआदिवासी

निवासीगण ग्राम गनेशपुर (मूंडरा) तहसील

गुलाबगंज जिला विदिशा -----आवेदकगण/नि.

बनाम

हरलाल पुत्र करनसिंह मोगिया निवासी

ग्राम गनेशपुर (मूंडरा) तहसील गुलाबगंज-- प्रति.

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

आदेश दिनांक 11/9/14 प्र.क्र. 91/अ-6/2012-13

हरलाल बनाम हरगोविंद आदि ग्राम गनेशपुर

====================================

श्री अनिमेष कुमार अधिवक्ता द्वारा पेश 28/10/14 को प्रस्तुत

28-10-14

C.A 29/10/14

29/10/14